न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 1227 सन 2021

अनवान :–

1. राजेन्द्रसिह पुत्र स्व रामदेवसिह जाति राजपूत साकिन जबरासर तहसील नोहर।

वादी

बनाम

1. सरस्वती देवी पत्नी स्व स्व रामदेव सिह जाति राजपूत निवासी जबरासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. बिना पुत्री स्व रामदेवसिह जाति राजपूत निवासी जबरासर तहसील नोहर।
3. तारादेवी पुत्र स्व रामदेवसिह जाति राजपूत निवासी जबरासर तहसील नोहर।
4. बिमला पुत्र स्व रामदेवसिह जाति राजपूत निवासी जबरासर तहसील नोहर।
5. विनोद देवी पत्नी स्व विजयसिह जाति राजपूत निवासी जबरासर तहसील नोहर।
6. विशालसिह पुत्र स्व विजयसिह जाति राजपूत निवासी जबरासर तहसील नोहर।
7. बन्टी पुत्र स्व विजयसिह जाति राजपूत निवासी जबरासर तहसील नोहर।
8. सन्तोष देवी पुत्री रिधुसिह जाति राजपूत निवासी जबरासर तहसील नोहर।
9. सजना देवी पुत्री रिधुसिह जाति राजपूत निवासी जबरासर तहसील नोहर।
10. सम्पतदेवी पत्नी स्व भागूसिह उर्फ मांगुसिह जाति राजपूत निवासी जबरासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
11. मनीष पुत्र स्व भागूसिह उर्फ मांगुसिह जाति राजपूत निवासी जबरासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
12. रजनीश सिह पुत्र स्व भागूसिह उर्फ मांगुसिह जाति राजपूत निवासी जबरासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
13. गुलशन पुत्र स्व भागुसिह उर्फ मांगुसिह जाति राजपूत निवासी जबरासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
14. ममता कवंर पुत्र स्व भागुसिह उर्फ मांगुसिह जाति राजपूत निवासी जबरासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
15. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 25/01/2022

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा जबरासर के खाता संख्या 392/392 की कुल 19.4120हैक भूमि में सयुक्त तौर से गीता पत्नी रिधुसिह 599/8440हिस्सा , भागुसिह पुत्र रिधुसिह 955/8440 हिस्सा एवं रामदेव सिह सयुक्त तौर से 1722/24265 हिस्से वर्तमान राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है।

उक्त वाद भूमि में सयुक्त तौर से गीता पत्नी रिधुसिह 599/8440हिस्सा , भागुसिह पुत्र रिधुसिह 955/8440 हिस्सा एवं रामदेव सिह सयुक्त तौर से 1722/24265 हिस्से की खातेदार काश्तकार थे तीनो का देहान्त हो चुका है

भागुसिह के जायज वारिसान सम्पतकंवर पत्नी गुलशन , मनीष ममता कंवर, सन्तोष हुए एवं रामदेवसिह के वारिसान उसकी पत्नी सन्तोष कवरं राजेन्द्रसिह बिना पिन्टुसिह व तारादेवी विमलकवंर हुए एवं एक लडका विजयसिह फोत हो चुका है जिसके वारिसान उसकी पत्नी विनोद कंवर एवं विशालसिह एवं बन्टी हुए जो वाद भूमि के विधिक अधिकारी हुए अर्थात गीता पत्नी रिधुसिह , भागुसिह पुत्र रिधुसिह, रामदेव सिह के नाम दर्ज भूमि के वादी एवं प्रतिवादीगण के हक हिस्सा की भूमि है।

प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 6 ,7 व 11 ता 14 वादी एवं प्रतिवादी संख्या 5 ,10 की पुत्र/पुत्रीया है जिन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि प्रतिवादी संख्या 5 ,10 के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ,5 ,8 ता 10 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने हक हिस्सा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के अधिकारी है

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 ता 14 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की गीता पत्नी रिधुसिह , भागुसिह पुत्र रिघुसिह, रामदेव सिह जो वादी के पूर्वज है के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,5 ,8 ता 10 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे बतौरे खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 14 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 14 ने निवेदन किया की वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पूर्वज गीता पत्नी रिधुसिह , भागुसिह पुत्र रिघुसिह, रामदेव सिह से दर्ज है जिनका देहानत हो चुका है जिनके वारिसान में विजयसिह का भी देहान्त होने के कारण वर्तमान में जायज वारिसान वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 14 है जो गीता पत्नी रिधुसिह , भागुसिह पुत्र रिघुसिह, रामदेव सिह को अपने हक हिस्सा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है तथा प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 ,6 ,7 ,11 ता 14 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,5 ,8 ता 10 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,5 ,8 ता 10 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसाल किया एवं प्रतिवादी संख्या 5 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जवाब शामिल मिसाल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा जबरासर के खाता संख्या 392/392 की कुल 19.4120हैक भूमि में सयुक्त तौर से गीता पत्नी रिधुसिह 599/8440हिस्सा , भागुसिह पुत्र रिघुसिह 955/8440 हिस्सा एवं रामदेव सिह सयुक्त तौर से 1722/24265 हिस्से वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

उक्त वाद भूमि में सयुक्त तौर से गीता पत्नी रिधुसिह 599/8440हिस्सा , भागुसिह पुत्र रिघुसिह 955/8440 हिस्सा एवं रामदेव सिह सयुक्त तौर से 1722/24265 हिस्से की खातेदार काश्तकार थे तीनो का देहान्त हो चुका है

भागुसिह के जायज वारिसान सम्पतकंवर पत्नी गुलशन , मनीष ममता कंवर, सन्तोष हुए एवं रामदेवसिह के वारिसान उसकी पत्नी सन्तोष कवरं राजेन्द्रसिह बिना पिन्टुसिह व तारादेवी विमलकवंर हुए एवं एक लडका विजयसिह फोत हो चुका है जिसके वारिसान उसकी पत्नी विनोद कंवर एवं विशालसिह एवं बन्टी हुए जो वाद भूमि के विधिक अधिकारी हुए अर्थात गीता पत्नी रिधुसिह , भागुसिह पुत्र रिघुसिह, रामदेव सिह के नाम दर्ज भूमि के वादी एवं प्रतिवादीगण के हक हिस्सा की भूमि है।

प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 6 ,7 व 11 ता 14 वादी एवं प्रतिवादी संख्या 5 ,10 की पुत्र/पुत्रीया है जिन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि प्रतिवादी संख्या 5 ,10 के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ,5 ,8 ता 10 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने हक हिस्सा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के अधिकारी है

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 14 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी राहमति /राजीनामा के

उपखण्ड अधिकारी
सोहर

Scanned with CamScanner

आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा जबरासर के खाता संख्या 392/392 की कुल 19.4120हैक भूमि में सयुक्त तौर से गीता पत्नी रिघुसिह 599/8440हिस्सा , भागुसिह पुत्र रिघुसिह 955/8440 हिस्सा एवं रामदेव सिह सयुक्त तौर से 1722/24265 हिस्से वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी का कथन है कि उनके पूर्वज गीता पत्नी रिघुसिह , भागुसिह पुत्र रिघुसिह, रामदेव सिह उर्फ देवसिह पुत्र रिघुसिह के नाम से दर्ज है तीनो का देहान्त हो चुका है जिसके जीवित जायज वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 14 है जो वाद भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 14 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है।

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 ,6 ,7 , 10 ता 14 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ,5 ,8 ता 10 के पक्ष में किया जा चुका है वादी के कथनो को प्रतिवादी संख्या 2 ता4 ,6 ,7 ,10 ता 14 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि को वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ,5 ,8 ता 10 के पक्ष में त्याग किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,5 ,8 ता 10 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनो के समर्थन में इकबाल पेश किया जा चुका है।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 ,6 ,7 ,10 ता14 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प डयूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 14 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा जबरासर के खाता संख्या 392/392 की कुल 19.4120हैक में से मृतक गीता ,रामदेवसिह , भागुसिह का नाम कलमजन किया जाकर वादी अकेला 0.5742हैक ,प्रतिवादी संख्या 1 अकेली 0.5742हैक , प्रतिवादी संख्या 5 अकेली 0.5742हैक , प्रतिवादी संख्या 8 ,9 दोनो बहिव 0.6888हैक एवं प्रतिवादी संख्या 10 अकेली 1.7221हैक भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर वाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 25/01/2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. राजेन्द्रसिंह पुत्र स्व रामदेवसिंह जाति राजपूत साकिन जबरासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1 सरस्वती देवी पत्नी स्व स्व रामदेव सिंह जाति राजपूत निवासी जबरासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. बिना पुत्री स्व रामदेवसिंह जाति राजपूत निवासी जबरासर तहसील नोहर।
3. तारादेवी पुत्र स्व रामदेवसिंह जाति राजपूत निवासी जबरासर तहसील नोहर।
4. बिमला पुत्र स्व रामदेवसिंह जाति राजपूत निवासी जबरासर तहसील नोहर।
5. विनोद देवी पत्नी स्व विजयसिंह जाति राजपूत निवासी जबरासर तहसील नोहर।
6. विशालसिंह पुत्र स्व विजयसिंह जाति राजपूत निवासी जबरासर तहसील नोहर।
7. बन्टी पुत्र स्व विजयसिंह जाति राजपूत निवासी जबरासर तहसील नोहर।
8. सन्तोष देवी पुत्री रिधुसिंह जाति राजपूत निवासी जबरासर तहसील नोहर।
9. राजना देवी पुत्री रिधुसिंह जाति राजपूत निवासी जबरासर तहसील नोहर।
10. सम्पतदेवी पत्नी स्व भागूसिंह उर्फ मांगुसिंह जाति राजपूत निवासी जबरासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
11. मनीष पुत्र स्व भागूसिंह उर्फ मांगुसिंह जाति राजपूत निवासी जबरासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
12. रजनीश सिंह पुत्र स्व भागूसिंह उर्फ मांगुसिंह जाति राजपूत निवासी जबरासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
13. गुलशन पुत्र स्व भागुसिंह उर्फ मांगुसिंह जाति राजपूत निवासी जबरासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
14. ममता कवंर पुत्र स्व भागुसिंह उर्फ मांगुसिंह जाति राजपूत निवासी जबरासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
15. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 1227 सन 2021 निर्णय दिनांक– २८/०१/२०२२

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही गौजा जबरासर के खाता संख्याा 392/392 की कुल 19.4120हैक में से मृतक गीता ,रामदेवसिंह , भागुसिंह का नाम कलमजन किया जाकर वादी अकेला 0.5742हैक ,प्रतिवादी संख्या 1 अकेली 0.5742हैक , प्रतिवादी संख्या 5 अकेली 0.5742हैक , प्रतिवादी सख्या 8 ,9 दोनो बहिव 0.6888हैक एवं प्रतिवादी संख्या 10 अकेली 1.7221हैक भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक २८/०१/२०२२ को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

Scanned with CamScanner